(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1469-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-04-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 354/अपील/15-16

तेजराम आ0 राजाराम बलाही
निवासी ग्राम चीराखान तहसील हण्डिया जिला हरदा म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1-गवलराम आ0 राजाराम बलाही
2-रामविलास आ0 राजाराम बलाही
3-तोताराम आ0 राजाराम बलाही
4-सुशील आ0 राजाराम बलाही
सभी निवासी ग्राम चीराखान तहसील हण्डिया जिला हरदा म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री अमित कुमार कैथवास, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आनन्द शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-04-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उभयपक्ष आपस में सगे भाई है, के पिता कोटवार थे, उभयपक्ष के पिता की मृत्यु होने के उपरांत आवेदक द्वारा तहसीलदार हण्डिया के

समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने आवेदन पत्रप्रस्तुत कियागया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर एवं विधिवत् कार्यवाही कर दिनांक 1-11-14 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 230 के तहत अनावेदक की अस्थाई रूप से कोटवार पद पर नियुक्ति किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24-6-2016 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21-4-17 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये है :-

(1) अपर आयुक्त द्वारा मृतक ग्राम कोटवार के निकटतम संबंधी पुत्र निगरानीकर्ता की अग्रमान्यता पर विचार किया गया है तथा साथ ही क्या बिना कोई कोटवारी पद नियुक्ति हेतु अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर भी कोटवारी पद पर उसकी नियुक्ति की जाना विधि संगत नहीं है। तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा कोई आवेदन पत्र कोटवारी हेतु प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये भी अनावेदक को कोटवार पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है ।

(2) संहिता की धारा 230 में कोटवारी नियम 4 के अनुसार आवेदन पत्र होना आवश्यक है, जो कि अनावेदक द्वारा नहीं दिया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदक मृतक कोटवार का पुत्र होकर निकट संबंधी होने से अग्रमान्यता के आधार पर उक्त कोटवारी पद प्राप्त करने का विधि अनुसार अधिकारी था ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा आवेदक और अनावेदक की शैक्षणिक योग्यता पर विधि की मंशा के विपरीत जाकर अपील स्वीकार की गई है इसलिये भी अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) आवेदक मृतक कोटवारी का पुत्र होकर दूसरी पास है और सदचरित्र व्यक्ति है और कोटवार नियुक्ति के संबंध में अभिलेख पर एकमात्र आवेदक का आवेदन भी संलग्न है ।

उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये है :-

(1) अनावेदक के प्रकरण में कोटवारी पद पर पिता द्वारा स्वयं आवेदन कर अनावेदक से आवेदन कराया गया है एवं व्यक्त किया गया कि अनावेदक को कोटवारी कार्य का अनुभव है, तब ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसंगत है ।

(2) अनावेदक की द्वितीय अपील में अपर आयुक्त द्वारा स्वीकार की गई है जो विधिसंगत है क्योंकि तहसीलदार द्वारा अग्र मान्यता के सिद्धांत के अनुसार अनावेदक के पिता के जीवनकाल में अनावेदक एवं उसकी मॉ कोटवारी कार्य में मदद करते थें एवं उनके द्वारा आवेदन भी किया गया था तब ऐसी स्थिति में विश्वसनीय एवं प्रमाणित दस्तावेजों की साक्ष्य पर अनावेदक सर्वश्रेष्ठ व पात्र प्रतिभागी प्रमाणित करता है । इसी आधार पर तहसीलदार द्वारा नियुक्ति में कोई त्रुटि नहीं की गई है एवं तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) कोटवारी पद के लियेचरित्र का विशेष महत्व होताहै । आवेदक के विरूद्धभारतीय दण्डविधान का आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था एवं वर्तमान में विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में अनावेदक की कोटवार पद पर नियुक्ति विधिसंगत है ।

(4) आवेदक द्वारा तथ्यों को छिपाकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है इसलिये भी यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक की योग्यता आवेदक से अधिक है इसलिये पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अनावेदक की कोटवार पद पर नियुक्ति की जाने की अनुशंसा की है । थाना प्रभारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदक पर आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक को कोटवार नियुक्त नहीं किया जा सकता है । थाना प्रभारी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक का चरित्र आपराधिक प्रवृत्ति का स्पष्ट होता है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 230 के तहत अनावेदक गबलराम आ0राजाराम को पटवारी प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं थाना प्रभारी की रिपोर्ट को आधार मानकर ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्ति के आदेश पारित करना विधि संगत है । तहसील न्यायालय के विधिसंगत

आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-04-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर